"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2007—माघ 13, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/9/2006/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कबीरधाम को दिनांक 01-02-2007 से 28-02-2007 तक (28 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कटारिया आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कबीरधाम के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश काल में श्री कटारिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कटारिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 28-12-2006 से 30-12-2006 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-12-2006 एवं 01-01-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 10-10-2006 से 7-11-2006 तक 29 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2007

क्रमांक 742/163/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राकेश मिश्रा, अधिवक्ता, गरियाबंद, जिला-रायपुर को आज दिनांक 22-1-07 से तीन माह की कालावधि के लिए रायपुर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय, गरियाबंद में अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 413/1560/07/25-2/आजवि.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 अध्याय दो की कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री नारायण चंदेल, जांजगीर-चांपा को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 9-21/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए खैरागढ़ निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं.

अनुसूची

खैरागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मारूटोलाकला, पिपरिया, कांचारी, दिलीपपुर एवं ढोलियाकन्हार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम ढोलियाकन्हार, गाड़ीडीह, मुलेड़ा कमलानारायणपुरा, धनेली एवं देवरीभाट ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम देवरीभाट, भरदाकला, पेन्ड्रीकला, दपका, अमलीडीह, झोराझोरी एवं दल्लीटोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम दल्लीटोला, अकरजन, हीरावाही, कोहकावोड एवं मारूटोलाकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 106/785/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 2123/785/32/2006 दिनांक 31-10-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरमोरा	296/1	21.29 एकड़ में से 5.56 एकड़	औद्योगिक	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 9-48/32/05.---छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-48/32/2005 दिनांक 22-07-2005 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पडीमार	286/1	20 हेक्टेयर	वन आरक्षित	राखड़ बांध औद्योगिक

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2007

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 11-5/16/03.—श्रम विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-5/16/03 रायपुर दिनांक 6-6-03 उपाध्यक्ष (कार्मिक एवं प्रशासन) ग्रासीम सीमेंट (पो. रावन) तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर विरुद्ध प्रतिनिधित्व सचिव, सीमेंट वर्कर्स युनियन (सीटू) 25/45 ब्राम्हणपारा रायपुर द्वारा पारित आदेश की अनुसूची :

अनुसूची

क्या सेवानियुक्तियों के प्रतिनिधि द्वारा संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार 69 ठेका श्रमिकों को जो कि ग्रासीम सीमेंट रावन के कारखाना परिसर के अंदर जिप्सम अनलोडिंग का कार्य करते हैं को वही वेतन एवं सुविधायें प्रदान किये जाने का औचित्य है जो ग्रासीम सीमेंट रावन प्रबंधन अपने विभागीय श्रमिकों को प्रदान कर रहा है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ? में परिशिष्ट/एनेक्चर-ए जोड़ा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

परिशिष्ट-ए

ग्रासीम सीमेंट रावन कोल जिप्सम श्रमिकों की सूची

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	उम्र	ग्राम	कार्य प्रारंभ तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देवचरण ध्रुव	रतनू	36	वरडीह	1995
2.	सत्यनारायण सतनामी	अंगद	32	मजगांव	-,,-
3.	उबाररन दास सतनामी	देरवन दास	31	लोहारी	-,,-
4.	लेखराम ध्रुव	दुलारी	34	बुड़गाहन	-,,-
5.	परदेशी राम यादव	मदन	39	अर्जुनी	-,,-
6.	बेदराम सतनामी	इतवारी	27	बासिन	-,,-
7.	गिरधारी साहू	गणेशराम	31	आमाकोनी	1997
8.	बिसनू प्रसाद ध्रुव	लखनलाल	31	आमाकोनी	-,,-
9.	शिवप्रसाद यादव	गेंदूराम	23	भदरा	1996
10.	अशोक सतनामी	मंगलदास	25	बासिन	1995
11.	चंदूलाल सतनामी	जेठूराम	35	बासिन	1997
12.	सरोज कुमार वर्मा	कुंवरसिंह	31	रवान	-,,-
13.	वेदराम ध्रुव	फागू	28	भंवरगढ़	-,,-
14.	बंशी ध्रुव	फागूराम	25	--,,--	-,,-
15.	चेतन लाल सतनामी	भुलऊ	28	बासिन	1995
16.	नंदराम सतनामी	जेठूराम	31	बासिन	-,,-
17.	काशीराम सतनामी	मंगलदास	30	--,,--	-,,-
18.	देवलाल सतनामी	श्यामरतन	38	झिपन	-,,-
19.	पूनाराम सतनामी	बिझूराम	37	बासिन	-,,-
20.	नंदकुमार सतनामी	जेठूराम	38	--,,--	1997
21.	छेदूराम सतनामी	इतवारी	30	--,,--	1996
22.	नीलकंठ साहू	बालाराम	30	गुमा	1997
23.	सीताराम ध्रुव	सूखराम	25	पौंसरी	1996
24.	दुखूराम साहू	सोनसिंह	37	परसवानी	1996
25.	तिजऊ सतनामी	थनवार सिंह	37	अमेरी	1997
26.	दशरथ देवांगन	घनश्याम	22	सरसेनी	-,,-
27.	कलाराम सतनामी	गयाराम	37	सुहेला	1998
28.	केशराम निर्मलकर.	बिसेसर	30	पौंसरी	1997
29.	बरातूराम साहू	बंशीलाल	30	बासिन	1995
30.	जीवनलाल निर्मलकर	सीताराम	30	सरसेनी	1995
31.	मन्नूराम साहू	महादेव	30	--,,--	1996

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	सालिकराम वर्मा	जथाराम	30	सरसेनी	1996
33.	लोकनाथ साहू	सोनूराम	25	खेली	1995
34.	बाबूलाल सतनामी	बीनूराम	32	--,,--	-,,-
35.	विष्णु सतनामी	समारूराम	25	--,,--	-,,-
36.	ब्रम्हदेव ध्रुव	बचनलाल	33	पंसौरी	-,,-
37.	संतोष कुमार ध्रुव	फागूराम	25	--,,--	-,,-
38.	भुनेश्वर वर्मा	खेलूराम	38	--,,--	1996
39.	रेशराम लाल निर्मलकर	सीताराम	32	सरसेनी	-,,-
40.	डेगेश्वर निर्मलकर	सीताराम	30	--,,--	-,,-
41.	नेतराम निर्मलकर	फिरंता	27	तुलसी	1996
42.	संतराम वर्मा	गनपतराम	32	बासिन	1997
43.	गंगाप्रसाद निषाद	गणेशराम	29	--,,--	-,,-
44.	मेहतक राम मेहर	पुसऊराम	28	झिपन	1996
45.	महेश कुमार सतनामी	सुकालू	25	--,,--	1995
46.	सुरेश कुमार सतनामी	लैनू	25	--,,--	-,,-
47.	सालिक राम सतनामी	पुनऊ	29	--,,--	-,,-
48.	नारायण दास सतनामी	भुलऊ	38	--,,--	-,,-
49.	सोनचरण सतनामी	कृपाराम	28	--,,--	1996
50.	लक्ष्मण सतनामी	श्यामलाल	24	--,,--	-,,-
51.	नहरलाल सतनामी	देवलाल	24	झिपन	1996
52.	मेहत्तर सतनामी	रूपचंद	30	--,,--	-,,-
53.	संतोष कुमार	कन्हैया	25	--,,--	-,,-
54.	सेवाराम सतनामी	रामदास	28	बासिन	1995
55.	समारू सतनामी	रामदास	25	--,,--	1996
56.	कुंजन सतनामी	फत्तूराम	33	खेली	1995
57.	केशवराम सतनामी	फत्तूराम	28	खेली	-,,-
58.	डोडूराम सतनामी	इंदल	27	--,,--	-,,-
59.	लखनलाल सतनामी	बिसहत	33	खेली	1995
60.	रूपचंद सतनामी	गुहनप्रसाद	33	--,,--	-,,-
61.	घनाराम सतनामी	बोधनलाल	30	--,,--	-,,-
62.	राधेश्याम सतनामी	सोनचंद	27	--,,--	-,,-
63.	माखनलाल ध्रुव	गणेशराम	27	बोईरडीह	-,,-
64.	श्यामलाल पटेल	रमऊ	29	मंगला	-,,-
65.	टेकराम ध्रुव	परमानंद	28	बोईरडीह	-,,-
66.	बैसाखूराम ध्रुव	दुकलहाराम	33	फूलवारी	-,,-
67.	बिसाल ध्रुव	चैतूराम	33	तुसली	-,,-
68.	दुलार प्रसाद निर्मलकर	खेदूराम	30	खपराडीह	1999
69.	केवकराम ध्रुव	नोहरसिंह	30	बोईरडीह	1995

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ-5-17-आठ/परि./07.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 200 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-17/दो/परि./2003, दिनांक 27 सितम्बर 2003 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-53/दो/आठ-परि/02, दिनांक 01 मई 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 14, के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक 14 स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अ. क्र.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा	प्रशमन की रकम रु. में	
		प्रथम अपराध पर	द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जहां लागू हो
(1)	(2)	(3)	(4)
14	अ-194 (1) अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान का चालन.	रु. 2,000.00 एवं निर्धारित क्षमता से अधिक भार पर प्रति टन या उसके भाग के लिए रु. 1,000.00	प्रत्येक बार
	ब-194 (2) मोटरयान को रोकने एवं भार कराने से इंकार करने आदि पर.	रु. 2,500.00	प्रत्येक बार

Raipur, the 11th January 2007

No. F-5-17/Two/VIII/Tr./07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of this department notification No. F-5-17/Two/VIII-Tran/03, dated 27 September 2003, the State Government hereby makes the following amendments in this department notification No. F-5-53/Two/VIII-Tran/02, dated first May 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said notification for the serial number 14, of the schedule the following serial number 14, shall be substituted, namely :—

S. No.	Section of Motor Vehicle Act, 1988	Amount of Composition fee in Rs.	
		For first offence	For second or subsequent offences wherever applicable
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	A-194 (1) Driving vehicle exceeding permissible weight.	Rs. 2,000-00 and Rs. 1,000-00 for each additional tone or part thereof in excess of permissible load.	each time
	B-194 (2) Refusal to stop and submit the vehicle for weighing etc.	Rs. 2,500-00	each time

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक/01/भू-अर्जन/अ. वि. अ./भू-अर्जन/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बिजेपुर प. ह. नं. 46	2.66	कार्यपालन अभियंता, रा. रा. मार्ग संभाग, रायपुर.	जोंक पुल एवं सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक/क/बा. भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 14 अ-82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	वटगन प. ह. नं. 19	24.919	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1032/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा	2.28	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	विनौधा माइनर, सुरसी माइनर एवं सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1034/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटेसरा	2.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कांशीडीह माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1036/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	महौपाली	1.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	महौपाली माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1038/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुरसी	1.83	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	सुरसी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

क्रमांक/1040/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	पेण्डरूवा	0.27	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्रमांक 1, खरसिया.	खुरसिया माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	चंगोरी प. ह. नं. 1	0.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/29.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प. ह. नं. 16	1.592	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सरहर सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/36.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोसीर प. ह. नं. 8	0.045	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ससहा माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/37.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोसीर प. ह. नं. 8	0.053	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ढाबाडीह डि. ब्यु. के अंत. कोसीर माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/38.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भिलौनी प. ह. नं. 8	0.036	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	डोंगा कोहरौद माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 52/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिमतरा प. ह. नं. 41	0.53	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 55/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सुरडुग प. ह. नं. 46	0.54	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	सुरडुग जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 58/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मेड़ेसरा प. ह. नं. 28	0.19	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/स संभाग, दुर्ग.	मेड़ेसरा डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 61/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	भानपुरी प. ह. नं. 27	0.16	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/स संभाग, दुर्ग.	जंजगीरी डायवर्सन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 64/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	ढौर प. ह. नं. 41	0.11	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	हिंगनाडीह माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 67/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सुरजीडीह	0.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 70/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	मोहंदी प. ह. नं. 43	4.62	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	मोहंदी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 73/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	नंदौरी प. ह. नं. 44	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला ज/सं संभाग, दुर्ग.	नंदौरी जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक/भू-अर्जन/09/अ/82/वर्ष-05-06/555.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-धमतरी
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	201	0.23
	242/1	0.17
योग	2	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी मुख्य नहर के लिमतरा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 38/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सो[illegible]बेल्हा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	300/1	0.020
	302	0.134
योग	2	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तखतपुर-मुंगेली, बायपास मार्ग पर मनियारी नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक 3-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.446 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	117/10	0.073
	117/4	0.057
	118/2	0.049
	118/1	0.032
	122	0.085
	124/1	0.077
	123/4	0.073
योग	7	0.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहंर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक 31.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 18[illegible]4 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की [illegible]क्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.768 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	854	0.036
	855	0.138
	931	0.061
	928/4	0.109
	928/1	0.020
	928/3	0.024
	927/2	0.028
	934/1	0.085
	934/2	0.004
	935, 936	0.097
	923	0.008
	937/1	0.158
योग		0.768

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्री सब माइनर नं.1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक 32.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-दर्री, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.683 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
349, 350, 351 / 2	0.105
352/4	0.073
352/2	0.069
352/1	0.012
352/3	0.101
95	0.283
109/2, 110/3	0.040
योग	0.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्री सब माइनर नं.1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक 33.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-दर्री, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
358/2	0.012
358/1	0.024
359/4	0.045
359/5	0.045
359/8	0.045
359/6	0.045
327	0.020
328/1	0.073
योग	0.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्री सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक 34.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
940/7	0.020
973/1	0.069
973/2	0.077
944/5	0.024
944/1	0.138

(1)	(2)
944/8	0.012
948/6	0.073
944/2	0.012
948/4	0.040
948/3	0.040
948/1	0.085
योग	0.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दर्री सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक 35.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.570 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1147/1	0.093
1147/4	0.049
1147/5	0.089
1147/2	0.113
1154	0.057
1153/1 1153/2	0.012
1155	0.129
1119/1	0.028
योग	0.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरहर सब माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्रमांक 39.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
593	0.065
योग 1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहाभांठा सब माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 जनवरी 2007

क्रमांक 40.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पलाड़ीकला, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	813/1, 814	0.053
योग	1	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पलाड़ी माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 190/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	297/1	0.037
	610/2	0.008
	22/3	0.028
	23/2	0.045
	23/1	0.040
	295/1, 2	0.040
योग	6	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसाडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 191/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिया, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.513 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/2	0.042
91/2	0.048
91/4	0.228
180/8	0.048
180/9	0.035
92/5	0.004

(1)	(2)
180/11	0.108
योग	0.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भोथिया माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 192/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
459/5	0.040
459/6	0.032
182/2 क	0.040
285/2	0.008
954/2	0.085
920/2	0.008
164	0.065

(1)	(2)
845/2	0.032
योग	0.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोबरा सब डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2007

क्रमांक 193/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथिडीह, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
415/6	0.061
योग 1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भोथिडीह माइनर 02 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा, छत्तीसगढ़

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पताढ़ी (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प. ह. नं. 7	27	0.02
			43/1-क/1	0.04
			43/1-ख, 43/1-ग, 43/1-ण, 43/1-न	0.01
			43/1-द	0.01
			43/1-ढ	0.01
			43/2	0.01
			128/3	0.02
योग पताढ़ी (शासकीय भूमि)				0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पताढ़ी (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	पताढ़ी/प. ह. नं. 7	3/5, 134, 135	0.02
			28	0.01
			32	0.01
			33/1	0.01
			34/1	0.01
			39/1, 38/1, 41/2	0.02
			40	0.01
			41/1, 42	0.02
			116	0.01
			117/2	0.03
			124/1	0.01
			124/2	0.01
			124/4	0.01
			125	0.04
			131	0.01
			132	0.01
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.01
			144/1, 145/1, 146	0.01
			144/2, 145/3	0.01
कुल पताढ़ी (निजी भूमि)				**0.27**
कुल पताढ़ी (शासकीय भूमि)				0.12
कुल पताढ़ी (निजी भूमि)				0.27
कुल पताढ़ी की अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.39**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE.

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Patadi (Government Land)				
Korba	Korba	Patadi/P. C. N. 7	27	0.02
			43/1-क/1	0.04
			43/1-ख, 43/1-ग, 43/1-ण, 43/1-न	0.01
			43/1-द	0.01
			43/1-ह	0.01
			43/2	0.01
			128/3	0.02
Sub Total Patadi (Government Land)				0.12
Patadi (Private Land)				
Korba	Korba	Patadi/P. C. N. 7	3/5, 134, 135	0.02
			28	0.01
			32	0.01
			33/1	0.01
			34/1	0.01
			39/1, 38/1, 41/2	0.02
			40	0.01
			41/1, 42	0.02
			116	0.01
			117/2	0.03
			124/1	0.01
			124/2	0.01
			124/4	0.01
			125	0.04
			131	0.01
			132	0.01
			133, 136, 141, 142/2, 143	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			144/1, 145/1, 146	0.01
			144/2, 145/3	0.01
Patadi- Sub Total (Private Land)				**0.27**
Patadi- Sub Total Government Land				0.12
Patadi- Sub Total Private Land				0.27
Patadi- Total of Proposed Land to be Acquired				**0.39**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खोड्डल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	खोड्डल/प. ह. नं. 7	200/3, 201	0.01
			203/4	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			203/5	0.01
			203/7	0.01
			203/8	0.01
			203/13	0.02
			208/1	0.01
कुल खोड्डल (निजी भूमि) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.08**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Private Land				
Korba	Korba	Khoddle/P. C. N. 7	200/3, 201	0.01
			203/4	0.01
			203/5	0.01
			203/7	0.01
			203/8	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			203/13	0.02
			208/1	0.01
Khoddle- Total Proposed Land to be Acquired				**0.08**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उरगा (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प. ह. नं. 7	1267	0.02
उरगा कुल (शासकीय भूमि)				**0.02**
उरगा (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	उरगा/प. ह. नं. 7	1149/2	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1150	0.03
			1151	0.03
			1153/1	0.02
			1153/3	0.02
			1153/6	0.02
			1162/1-इ	0.03
			1162/1-प	0.01
			1164, 1165/1, 1166	0.01
			1165/3	0.04
			1165/4	0.01
			1172	0.01
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.01
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.01
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.01
			1174	0.03
			1179	0.01
			1185	0.02
			1186	0.01
			1176	0.01
उरगा कुल (निजी भूमि)				**0.35**
उरगा कुल (शासकीय भूमि)				0.02
उरगा कुल (निजी भूमि)				0.35
उरगा की कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.37**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urga (Government Land)				
Korba	Korba	Urga/P. C. N. 7	1267	0.02
Urga- Sub Total (Government Land)				**0.02**
Urga (Private Land)				
Korba	Korba	Urga/P. C. N. 7	1149/2	0.01
			1150	0.03
			1151	0.03
			1153/1	0.02
			1153/3	0.02
			1153/6	0.02
			1162/1-ङ	0.03
			1162/1-ष	0.01
			1164, 1165/1, 1166	0.01
			1165/3	0.04
			1165/4	0.01
			1172	0.01
			1173/1, 1175/1, 1177/1	0.01
			1173/3, 1175/3, 1177/3	0.01
			1173/4, 1175/4, 1177/4	0.01
			1174	0.03
			1179	0.01
			1185	0.02
			1186	0.01
			1176	0.01
Urga- Sub Total (Private Land)				**0.35**
Urga- Sub Total Government Land				0.02
Urga- Sub Total Private Land				0.35
Urga- Total Proposed Land to be Acquired				**0.37**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सेमीपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	सेमीपाली/प. ह. नं. 7	475/3	0.03
			476/1	0.01
			476/2	0.01
			497	0.02
			498	0.01
			499	0.01
			502/1	0.01
			502/2	0.01
			504	0.01
सेमीपाली कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि				**0.12**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Semipali- (Private Land)				
Korba	Korba	Semipali/P. C. N. 7	475/3	0.03
			476/1	0.01
			476/2	0.01
			497	0.02
			498	0.01
			499	0.01
			502/1	0.01
			502/2	0.01
			504	0.01
Semipali- Total Proposed Land to be Acquired				**0.12**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.---राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अखरपाली (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	अखरपाली/प. ह. नं. 6	545, 553	0.01
			549	0.01
			550/3	0.03
			550/4	0.01
			550/5	0.02
			551/1	0.01
			551/2	0.03
			554/1, 555/2, 556/13	0.01
			555/1, 556/8	0.01
अखरपाली कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि				**0.14**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh):

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akharpali- (Private Land)				
Korba	Korba	Akharpali/P. C. N. 6	545, 553	0.01
			549	0.01
			550/3	0.03
			550/4	0.01
			550/5	0.02
			551/1	0.01
			551/2	0.03
			554/1, 555/2, 556/13	0.01
			555/1, 556/8	0.01
Akharpali--Total Proposed Land to be Acquired				**0.14**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
देवरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प. ह. नं. 6	796/1	0.01
देवरमाल कुल शासकीय भूमि				**0.01**
देवरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	देवरमाल/प. ह. नं. 6	784/2	0.02
			786/1	0.03
			786/3	0.01
			787/1	0.02
			787/2	0.02
			789/4	0.02
			789/5	0.03
			791/1	0.01
			791/2	0.01
			792/2	0.01
			801/1	0.02
			801/2	0.01
			814/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			815/1	0.01
			815/2	0.01
			821/2	0.01
			822/1	0.01
			822/2	0.01
			822/4	0.02
			825	0.02
			826/1	0.02
			827/4	0.04
			828/2	0.01
			829/1	0.02
			829/2	0.01
			830	0.01
			832/2	0.01
			789/6	0.01
देवरमाल कुल (निजी भूमि)				**0.46**
देवरमाल कुल (शासकीय भूमि)				0.01
देवरमाल कुल (निजी भूमि)				0.46
देवरमाल कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.47**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantán/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Patadi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dewarmal (Government Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/P. C. N. 6	796/1	0.01
Dewarmal- Sub Total (Government Land)				0.01
Dewarmal (Private Land)				
Korba	Korba	Dewarmal/P. C. N. 6	784/2	0.02
			786/1	0.03
			786/3	0.01
			787/1	0.02
			787/2	0.02
			789/4	0.02
			789/5	0.03
			791/1	0.01
			791/2	0.01
			792/2	0.01
			801/1	0.02
			801/2	0.01
			814/1	0.03
			815/1	0.01
			815/2	0.01
			821/2	0.01
			822/1	0.01
			822/2	0.01
			822/4	0.02
			825	0.02
			826/1	0.02
			827/4	0.04
			828/2	0.01
			829/1	0.02
			829/2	0.01
			830	0.01
			832/2	0.01
			789/6	0.01
Dewarmal- Sub Total (Private Land)				0.46
Dewarmal- Sub Total Government Land				0.01
Dewarmal- Sub Total Private Land				0.46
Dewarmal- Total Proposed Land to be Acquired				0.47

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004

क्रमांक 743/भू-बंटन/अर्जन/2007.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हसदेव नदी ग्राम-कुदुरमाल, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) से जल परिवहन हेतु ग्राम-पताढ़ी, तहसील/जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) तक मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कुदुरमाल (शासकीय भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प. ह. नं. 6	173/1	0.01
			273/1	0.01
कुदुरमाल कुल (शासकीय भूमि)				**0.02**
कुदुरमाल (निजी भूमि)				
कोरबा	कोरबा	कुदुरमाल/प. ह. नं. 6	176/6	0.01
			179/1, 283	0.01
			179/2	0.02
			180	0.03
			181/1	0.04
			282/1	0.06
			239/1	0.02
			239/2	0.01
			239/3	0.04
			249/1	0.02
			249/2, 250/2	0.01
			250/1	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			250/4	0.01
			250/5	0.03
			250/6	0.02
			251/1	0.02
			251/3	0.02
			251/4	0.01
			251/6	0.01
			251/8	0.03
			251/9	0.01
			257/1	0.01
			257/2	0.02
			257/3	0.02
			257/4	0.01
			257/5	0.01
			258/2	0.02
			258/4	0.03
			262	0.02
			263/4	0.03
			272/2	0.01
			273/2, 276	0.01
			278, 279, 282/3	0.01
			302, 305	0.01
			462/1	0.02
			462/2	0.03
कुदुरमाल- कुल (निजी भूमि)				0.72
कुदुरमाल कुल (शासकीय भूमि)				0.02
कुदुरमाल कुल (निजी भूमि)				0.72
कुदुरमाल कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि				**0.74**

दिनांक : 24-1-2007

स्थान : कोरबा

Korba, the 24th January 2007

FORM-B

[Under Sub Section (1) of Section 5]

CHHATTISGARH UNDERGROUND PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ACT, 2004

Number 743/Bhu-Bantan/Arjan/2007.—Whereas, it appears to the State Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Water from Hasdev River at Village-Kudurmal, Tehsil & District-Korba of Chhattisgarh State, an underground pipeline should be laid by M/s LANCO Amarkantak Power Private Limited, Village-Paladi, Post Office-Tilkeja, Tehsil/District-Korba (Chhattisgarh).

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of the power conferred by the Sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (07 of 2004). The State Government hereby, declare its intention to acquire the right of user herein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the publication of notification in the official gazette under Sub-section (1) of Section 3 of the Act. Object in writing to the laying of underground pipeline under the land to the Competent Authority Additional Collector, Korba Chhattisgarh.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village/ P. C. N.	Khasra No.	Land to be acquired for R. O. U. (in Acres)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kudurmal (Government Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/P. C. N. 6	173/1	0.01
			273/1	0.01
Kudurmal- Sub Total (Government Land)				**0.02**
Kudurmal (Private Land)				
Korba	Korba	Kudurmal/P. C. N. 6	176/6	0.01
			179/1, 283	0.01
			179/2	0.02
			180	0.03
			181/1	0.04
			282/1	0.06
			239/1	0.02
			239/2	0.01
			239/3	0.04
			249/1	0.02
			249/2, 250/2	0.01
			250/1	0.03
			250/4	0.01
			250/5	0.03
			250/6	0.02
			251/1	0.02
			251/3	0.02
			251/4	0.01
			251/6	0.01
			251/8	0.03
			251/9	0.01
			257/1	0.01
			257/2	0.02
			257/3	0.02
			257/4	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			257/5	0.01
			258/2	0.02
			258/4	0.03
			262	0.02
			263/4	0.03
			272/2	0.01
			273/2, 276	0.01
			278, 279, 282/3	0.01
			302, 305	0.01
			462/1	0.02
			462/2	0.03
Kudurmal- Sub Total (Private Land)				**0.72**
Kudurmal- Sub Total Government Land				0.02
Kudurmal- Sub Total Private Land				0.72
Kudurmal- Total Proposed Land to be Acquired				**0.74**

Place : Korba (C. G.)

Date : 24-1-2007

सुधाकर खलखो,
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 36/Confdl./2007/II-2-90/2001 (Pt. II).—Shri N. D. Tigala, Member of Higher Judicial Service, presently posted as II Additional District & Sessions Judge, Ambikapur, is appointed as Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur with a direction to assume charge of his office by 5th February, 2007.

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 38/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office ; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Surendra Tiwari, III Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.
2.	Shri R. C. S. Samant, Additional Ragistrar, (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 19th January 2007

No. 40/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and posted on the post of Special Judge, as specified in column No. (6) of the table below, of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date they assume charge of their office ; and

The following Members of Higher Judicial Service are also appointed as Additional Sessions Judge for their respective Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & Present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Ranoo Diwekar, Additional District & Sessions Judge.	Bemetara	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
2.	Shri Ram Prasanna Sharma, Additional District & Sessions Judge.	Dhamtari	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
3.	Shri Sharad Kumar Gupta, Legal Advisor, State Economic Offences Investigation Bureau.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.